	उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, **हरिद्वार–249404** **वेबसाइट–www.ukpsc.gov.in**	☎	**01334-244143** **01334-244282(F)** **07060002410**

विज्ञापन संख्या:: A-3/DR /S-3/2021 — **दिनांक: 11 सितम्बर, 2021**

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, समूह 'ग' परीक्षा–2021

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	11 सितम्बर, 2021
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	::	01 अक्टूबर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क –Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	::	01 अक्टूबर, 2021 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के साथ शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	::	18 अक्टूबर, 2021 (सांय 6:00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

(1)	अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन–पत्र में आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
(2)	**अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि, अर्थात् दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।** अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण (Educational Qualification Details) में, Result Declaration Date के कॉलम में, सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) अंकित करें। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।**
(3)	**प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, परन्तु रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन–पत्र प्राप्त होने की दशा में छंटनी हेतु साक्षात्कार से पूर्व हरिद्वार, हल्द्वानी एवं देहरादून नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार नगर) के परीक्षा केन्द्रों पर स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है।** जिसमें सभी अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित किये जाने की दशा में खान निरीक्षक पद की

	स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–3(i)** पर एवं अन्य शेष 06 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट–3(ii)** पर उपलब्ध है।
(4)	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें, तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
(5)	आयोग कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा **पदनाम, अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र** इत्यादि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(6)	प्रश्नगत परीक्षा हेतु आवेदन मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क Net Banking/ Debit Card/Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। **यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।**
(7)	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा “Online Application” प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा नियम समय तक आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् ही प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष “Online Application” की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।**
(8)	अभ्यर्थी विज्ञापित पदों मे से एक पद हेतु एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित इस प्रकार के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र में **त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (Cancel)** कर, **पुनः आवेदन** कर सकते हैं, **किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा।**
(9)	**अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी शैक्षिक अर्हता का उल्लेख करेगा तथा विभिन्न पदों हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता जो वह धारित करता हो के अनुसार आवेदन कर सकता है। प्रश्नगत पदों हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, एक से अधिक पदों पर आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रत्येक पद के सापेक्ष शुल्क पृथक–पृथक जमा करना होगा। (उदाहरणार्थ–** यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी खान निरीक्षक (परीक्षा शुल्क– रू0 150 + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55/– = कुल रू0 176.55/–) एवं प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी (परीक्षा शुल्क– रू0 150 + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55/– = कुल रू0 176.55/–) पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु उसे दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क का योग रू 353.10/– परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।)

(10)	**अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवश्य अवलोकन कर लें। साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं शैक्षिक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित प्राविधानुसार सम्पादित की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख निर्धारित अन्तिम तिथि तक उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।
(11)	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट प्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास प्रमाण–पत्र, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि से संबंधित **परिशिष्ट–6** में उल्लिखित सूची के अनुसार समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों की छायाप्रति लिफॉफे में रख कर **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, पिन कोड–249404** कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा आयोग कार्यालय के किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित **अंतिम तिथि 18 अक्टूबर, 2021 (सांय 6:00 बजे तक)** तक जमा कराना सुनिश्चित करें। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम व पदनाम का स्पष्ट रूप से अंकन करें।**
(12)	**अभ्यर्थी द्वारा एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया गया है तो उसे प्रत्येक आवेदित पदों हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति के साथ विज्ञापन के परिशिष्ट–6 में उल्लिखित समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति जिसका अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किया गया हो, आयोग कार्यालय को निर्धारित अंतिम तिथि तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।** यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए जाते है तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। डाक विभाग की किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(13)	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता/अनुभव/आयु/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम् 05 वर्षों के लिए **प्रतिवारित (Debar)** कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
(14)	यदि अभ्यर्थी की अंक–तालिका में प्राप्तांको की गणना ग्रेड (CGPA, OGPA, SGPA etc.) में हो तो अंक–तालिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार समकक्ष अंकों व प्रतिशत को दर्शाना अनिवार्य है। साथ ही ग्रेड गणना को प्रतिशतता (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागू फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट–4** में निर्धारित प्रारूप पर साक्षात्कार से पूर्व समस्त अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र संलग्न न करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(15)	प्रश्नगत परीक्षा में श्रेणीवार/उपश्रेणीवार साक्षात्कार परीक्षा के न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
(16)	स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगें, अपितु ऑनलाईन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जारी किये जायेंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार से पूर्व साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in तथा दैनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाएगी।
(17)	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए, अन्तिम तिथि से पूर्व ही अपना आवेदन–पत्र भर लें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय समूह 'ग' परीक्षा–2021 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन–पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

2. रिक्तियों का विवरण :– रिक्तियों की कुल संख्या 26 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों का पदवार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	पदनाम	लम्बवत् आरक्षण श्रेणी	कुल रिक्त पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण श्रेणी
				उ0 महिला
01	02	03	04	05
1	खान निरीक्षक	अनारक्षित	06	02
		अनुसूचित जाति	03	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	–
		योग	**12**	**02**
2	मानचित्रकार	अनारक्षित	02	–
		अनुसूचित जाति	01	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–
		योग	**03**	**–**
3	सर्वेक्षक	अनारक्षित	02	01
		अनुसूचित जाति	01	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	–
		योग	**05**	**01**
4	प्राविधिक सहायक	अनारक्षित	02	–

	रसायन	अनुसूचित जाति	–	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–
		योग	**02**	**–**
5	**प्राविधिक सहायक भू–भौतिकि**	अनारक्षित	–	**–**
		अनुसूचित जाति	01	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–
		योग	**01**	–
6	**प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान**	अनारक्षित	02	**–**
		अनुसूचित जाति	–	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–
		योग	**02**	**–**
7	**पुस्तकालयाध्यक्ष**	अनारक्षित	–	**–**
		अनुसूचित जाति	01	–
		अनुसूचित जनजाति	–	–
		अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–
		योग	**01**	**–**
कुल योग			**26**	**03**

नोटः– 1. प्रश्नगत पद दिव्यांगता की किसी भी उपश्रेणी हेतु चिह्नांकित नहीं हैं।

2. अनुभव प्रमाण पत्र <u>परिशिष्ट–2</u> पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. <u>विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरणः–</u>

(1) खान निरीक्षक – (पदों की संख्या–12)

1.	**वेतनमान**	9,300 से 34,800 ग्रेड पे– 4200/– (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 35400–112400 लेवल–6)।
2.	**पद का स्वरूप**	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	**शैक्षिक अर्हता**	**(एक)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिकर्म अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। **या**

		किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूविज्ञान में स्नातक। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।
4.	**अधिमानी अर्हता**	**(एक)** खनिकर्म का निरीक्षण करने और खनिकर्म विधि को लागू करने का अनुभव। **(दो)** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **(b)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **नोट– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** **2. केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।**
5.	**आयु सीमा**	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **20 वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2001 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) मानचित्रकार (नक्शानवीस) – (पदों की संख्या–03)

1.	**वेतनमान**	9,300 से 34,800 ग्रेड पे– 4200/– (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 35400–112400 लेवल–6)
2.	**पद का स्वरूप**	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	**शैक्षिक अर्हता**	**(एक)** नक्शानबीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। **नोटः– प्रश्नगत पद हेतु नक्शानबीसी में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानबीसी में कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र।**
4.	**अधिमानी अर्हता**	**(एक)** भूतत्व संबंधी मानचित्रों और खण्ड (सैक्शन) का प्रारूप तैयार करने का अनुभव और परिवर्धन, लघुकरण, उपस्कर के प्रयोग करने का अनुभव। **(दो)** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या**

		(b) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **नोट– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** **2. केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।**
5.	**आयु सीमा**	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 **वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(3) सर्वेक्षक – (पदों की संख्या–05)

1.	**वेतनमान**	5200 से 20200 ग्रेड वेतन रू0– 2800 / – (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 29200–92300, लेवल–5)
2.	**पद का स्वरूप**	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	**अधिमानी अर्हता**	**(एक)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम दो वर्ष के पाठ्यक्रम के सर्वेक्षण, शिल्पकारिता (सर्वेक्षण) में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।
4.	**शैक्षिक अर्हता**	**(एक)** पर्वतीय क्षेत्रों में टेक्नोमैट्रिक सर्वेक्षण का अनुभव। **(दो)** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** **(b)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **नोट– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** **2. केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।**
5.	**आयु सीमा**	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **18 वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2003 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(4) प्राविधिक सहायक रसायन– (पदों की संख्या–02)

1.	वेतनमान	9,300 से 34,800 ग्रेड पे– 4200 / – (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 35400–112400 लेवल–6)
2.	पद का स्वरूप	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	शैक्षिक अर्हता	**(एक)** कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम0एस0सी0 की उपाधि। चट्टानों और खनिज पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अधिमानता दी जायेगी। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। **नोटः– प्रश्नगत पद हेतु एम0एस0सी0–रसायन विज्ञान की उपाधि 50 प्रतिशत अंकों के साथ अपेक्षित है।**
4.	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** **(b)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
5.	आयु सीमा	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **21 वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(5) प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी – (पदों की संख्या–01)

1.	वेतनमान	9,300 से 34,800 ग्रेड पे– 4200 / – (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 35400–112400 लेवल–6)।
2.	पद का स्वरूप	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	शैक्षिक अर्हता	**(एक)** भू–भौतिकी, प्रायोगिक भू–भौतिकी, भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ अधिस्नातक की उपाधि। बी0एस0सी0 में भौतिकशास्त्र और गणित। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।
4.	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** **(b)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
5.	आयु सीमा	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **21 वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(6) प्राविधिक सहायक भू–विज्ञान – (पदों की संख्या–02)

1.	वेतनमान	9,300 से 34,800 ग्रेड पे– 4200/– (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 35400–112400 लेवल–6)
2.	पद का स्वरूप	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	शैक्षिक अर्हता	**(एक)** कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ भूगर्भशास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में अधिस्नातक की उपाधि। **या** समकक्ष अर्हतायें **या** इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलॉजी धनबाद से प्रायोगिक भूगर्भशास्त्र में डिप्लोमा। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।
4.	अधिमानी अर्हता	**(एक)** शोध अनुभव या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित क्षेत्र प्रशिक्षण। **(दो)** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** **(b)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **नोट– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** **2. केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।**
5.	आयु सीमा	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **21 वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष – (पदों की संख्या–01)

1.	वेतनमान	9,300 से 34,800 ग्रेड पे– 4200/– (पुनरीक्षित वेतनमान – रू0 35400–112400 लेवल–6)
2.	पद का स्वरूप	अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त, समूह 'ग'।
3.	शैक्षिक अर्हता	**(एक)** पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक। **(दो)** उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए।

4.	अधिमानी अर्हता	**(एक)** पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनुभव **(दो)** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने– **(a)** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, **या** **(b)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **नोट– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–2 पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अन्य प्रारूपों पर उपलब्ध कराया गया प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।** **2. केवल सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या लिमिटेड संगठनों का ही अनुभव स्वीकार किया जायेगा और उसकी गणना तभी से की जायेगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त कर ली हों।**
5.	आयु सीमा	आयु गणना की विनिश्चायक तिथि **01 जुलाई, 2021** है। उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम **20 वर्ष** तथा अधिकतम **43 वर्ष** होनी चाहिए (अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2001 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।)

4. आयु :– समूह 'ग' के सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु उपर्युक्त तालिका में प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अंकित कर दी गयी है। प्रत्येक पद की न्यूनतम आयु सीमा अलग–अलग निर्धारित है। **उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–191/XXX(2)/2021-30(10)2019, दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021–22 में अधिकतम आयुसीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गयी है।** इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु **43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए** अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

5. अधिकतम आयु सीमा में छूट :–

(क) विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।

(ख) पूर्व सैनिको के आरक्षण के संबंध में शासनादेश सं0– 406/XXX(2)/2021-55(41)/2004 दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0 124, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a

higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt.jobs.

6. अनिवार्य / वांछनीय अर्हता :–

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत् है :–

शासन की अधिसूचना संख्या–164 / xxx–2 / 19–01(17) / 2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा **"उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई–स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो,**

परन्तु यह कि सैनिक / अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति / पत्नि जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र / पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग'के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगें,

परन्तु यह और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका / अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति / पत्नि, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र / पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह 'ग' पद पर सीधी भर्ती हतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक 1097 / xxx–2 / 19–01(17) / 2012, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है। **"उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार समूह 'ग' के पद हेतु केवल राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति को ही सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता नहीं है, जिसमें केन्द्र अथवा अन्य राज्य की सेवाऐं सम्मिलित नहीं है''।**

राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(iii) शासन के पत्रांक 809 / XXX(2) / 2010–3(1) / 2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जाएगा।''

7. आरक्षण :–

(क) उर्ध्वाधर / क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनाथ, एवं अन्य उपश्रेणियों यथा उत्तराखण्ड महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक** अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्वाधर / क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ग) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–29 / XXXVI(3)2019-30(2)/2019/03(1)/2019, दिनांक 05.02.2019 **के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।**

(घ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ शासनादेश संख्या : 133 / XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16.03.2009 के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त / विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124 / XXX(2) / 2020–53(01) / 2001 दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease" का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित

नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

(ड़) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(च) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–1"** में उल्लिखित प्रारुप/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक अन्य सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–1"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(छ) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। **शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है**। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अवश्य वैध होना चाहिये।

(ज) शासनादेश संख्या : 123/XXX(2)/2019-30(1)/2019, दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विज्ञापन में निर्धारित आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(झ) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या : 397/XXX(2)2019-30(2)/2019, दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। **सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।**

(ञ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेशानुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(ट) उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि से पूर्व जारी हुआ हो।

8. <u>राष्ट्रीयता</u> :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो**; या**

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1982 के पूर्व भारत आया हो; **या**

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, उगांडा या युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा तभी रहने दिया जायेगा जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

9. <u>चरित्र :–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा।

10. <u>वैवाहिक प्रास्थिति :–</u> सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका समाधान हो हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

11. शारीरिक स्वस्थता :– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल–10 के अधीन बनाये गये फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–दो भाग–दो से चार के अध्याय–3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

12. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में Apply Now लिंक पर क्लिक करें। Apply Now page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकारी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information फॉर्म पर प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें।

यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Information में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते है Tick करें। एक से अधिक पद के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में जिस पद/पदों हेतु आवेदन करना चाहतें है उसके समक्ष Tick करें। पद/पदों का चयन करने के उपरान्त चयन किये गये पदों का विवरण Selected Post के अन्तर्गत प्रदशित होगा।

फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत High School, Intermediate एवं Graduation etc का विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें। Graduation का विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक Graduation के विवरण को भरने की स्थिति में Clear पर क्लिक कर Graduation/Post Graduation

Details में Qualification Type में पुनः Graduation का चयन कर विवरण भरकर Add Education Details पर क्लिक करें।

उसके पश्चात् दी गयी Warning का सम्यक अध्ययन कर Continue बटन पर क्लिक करें। ततपश्चात् Upload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo एवं Signature के अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र में **त्रुटि होने पर** अभ्यर्थी अपना **आवेदन रद्‌द (Cancel)** कर **पुनः आवेदन** कर सकते हैं। रद्‌द किये गये आवेदन पत्र का जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। **आवेदन रद्‌द (Cancel)** करने के लिए Login कर Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विंडो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्यन करने के पश्चात घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के पजींकृत मोबाइल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको की Enter OTP वाली फील्डस पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवदेन **रद्‌द (cancel)** करने के पश्चात् उस रद्‌द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

नोट :1 आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information , Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर, Photo एवं Signature को पुनः अपलोड़ कर सकते हैं। **ध्यान रखें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाइल न0 को Edit/Update नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।**

2 आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

3 परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक पद हेतु 26.55 रूपये है।)**

4. **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ अभ्यर्थी** हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। किन्तु उक्त अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर डाटा भरने के बाद Click here for Final Submission बटन पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। तत्पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नही किया जा सकता है।

13. शुल्क :– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees रु0)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax रु0)	कुल शुल्क (Total Fees रु0)
01.	अनारक्षित	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 60	रु0 26.55	रु0 86.55
04.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150	रु0 26.55	रु0 176.55
05.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :– **1. उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।**

2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उसी गुणांक में परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। उदाहरणार्थ– यदि एक सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी प्रथम पद (परीक्षा शुल्क–रू0 150 + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55 = कुल रू0 176.55/–) एवं द्वितीय पद (परीक्षा शुल्क–रू0 150 + प्रोसेसिंग शुल्क रू0 26.55 = कुल रू0 176.55/–) हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करता है, तो वह दोनों पदों हेतु आवेदन कर सकता है, किन्तु उसे दोनों पदों हेतु निर्धारित शुल्क का योग अर्थात रू0 353.10/– परीक्षा शुल्क जमा करना होगा।

14. अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार/स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली–2012 यथा संशोधित प्रथम संशोधन–2013, द्वितीय संशोधन–2014, तृतीय संशोधन–2015 एवं चतुर्थ संशोधन–2016 आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है** तथा जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैः–

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अधिमानी अर्हता प्रमाण–पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि अधिमानी अर्हता के आधार पर अनर्ह किए गए अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं तिथि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा किन्तु अभ्यर्थी के अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(iii) यदि आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य किये जाने योग्य न हो तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। यदि अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र में धारित अनुभव विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण

नहीं है अथवा उसके पश्चात धारित है तो ऐसे अभ्यर्थी को अनिवार्य अनुभव धारित नहीं माना जायेगा। अनुभव प्रमाण–पत्र में विभागीय संदर्भ संख्या एवं विभागीय सक्षम अधिकारी का पदनाम व स्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित होना आवश्यक है।

(vii) अभ्यर्थी ध्यान रखें कि साक्षात्कार परीक्षा के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** एवं राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित की जायेगी।

(04) केवल वही अभ्यर्थी **साक्षात्कार परीक्षा** में सम्मिलित किए जायेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की प्रति के साथ समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, स्थाई–निवास, विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमा की गयी परीक्षा शुल्क की रसीद आदि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों/अभिलेखों की वैध छायाप्रतियॉ आयोग में निर्धारित तिथि तक जमा की गयी हों तथा आयोग में प्राप्त उक्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 यथा संशोधित के आलोक में अर्ह पाया जाएगा।** उक्त सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2019 आयोग की बेवसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(05) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु साक्षात्कार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के माध्यम से साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों का आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(06) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की **ई–मेल ukpschelpline@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित

करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' (NOC)** अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।

(08) प्रश्नगत पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में साक्षात्कार से पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जायेगी। **खान निरीक्षक पद हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type) की परिशिष्ट–3(i) में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 02 घंटे की समयावधि में 200 अंको के 100 प्रश्नों को किया जाना निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार शेष अन्य 06 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) परिशिष्ट–3(ii) में उल्लिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें 02 घंटे की समयावधि में 150 अंको के 150 प्रश्नों को किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।**

(09) स्क्रीनिंग परीक्षा **(वस्तुनिष्ठ प्रकार)** उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार, देहरादून एवं हल्द्वानी नगर (अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार) के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।

(10) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड –** वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा –

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(11) **उत्तर कुंजी आपत्ति–** स्क्रीनिंग परीक्षा **(वस्तुनिष्ठ प्रकार)** के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों

से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(12) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(13) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(14) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(15) परीक्षा केन्द्र में आचरण – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(16) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)–सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(17) स्क्रीनिंग परीक्षा (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सफल घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में साक्षात्कार के अंकों के साथ नही जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मात्र साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार का परिणाम आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(18) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे।

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

(19) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही मेरिट लिस्ट हेतु विचार किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंकों का विवरण **परिशिष्ट–5** पर उल्लिखित है।

(20) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(21) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(22) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र/साक्षात्कार ज्ञाप जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(23) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(24) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन–पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/ Credit Card के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(25) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** यथा संशोधित –2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(26) **<u>कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः–</u>** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी **अनुप्रमाणित/प्रमाणित** प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(27) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुॅचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी

अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(28) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(29) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(30) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(31) अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(32) सम्बन्धित पदों हेतु चयन परिणाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा।

(33) अभ्यर्थी स्क्रीनिंग परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन–पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(34) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

(35) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

Sd/-
(कर्मेन्द्र सिंह)
सचिव।

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण–प्रपत्र (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..निवासी ग्राम.. तहसील ....नगर..जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील ....नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर : ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम .... तहसील................................नगर ....जिला ....उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील..नगर....................................... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या : 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ....निवासी ग्राम .... तहसील..नगर......................................जिला..उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/पुत्री के पुत्र/पुत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम..................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.................................वर्ष..............................हेतु मान्य दिनांक..............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला... पोस्ट ऑफिस...जिला.......................................पिन कोड़................................. उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष.................................की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जो कि..जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम..
पदनाम...

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

''परिशिष्ट–2''

FORMAT

Experience Certificate

Logo of Office (If available)

Name of Deptt./Office :...

Address of Deptt./Office :...

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Trust : ....

Telephone No. :..

Website :...

Dated : ....

Ref. No. -

This is to certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri/Smt.. is/was an employee of this Government/Semi-Government Department/Organization/Institution, Company/Firm/Society/Trust and duties performed by him/her during the period(s) are as under :

Name of the post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent- Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting /Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experienc e gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Sign ....

(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

“परिशिष्ट– 3(i)”

Uttarakhand Public Service Commission

Syllabus for Mining Inspector Screening Examination (Objective Type)

Time: 2 hours **Questions: 100** **Marks: 200**

Part – 1: MINING ENGINEERING:-

Introduction to Mining

Mineral resources of Uttarakhand; Minerals - their occurrences, production trend and uses. Definition of common mining terms. Overview of unit operations in surface and underground mines.

Explosives: Types of explosives and blasting agents. Blasting theory and safety considerations. Priming, Charge distribution, Solid blasting. Testing of explosives.

Drivage of drifts and main development headings. Conventional methods: Drilling, blasting, loading and transport of muck. Auxiliary operation: Support, ventilation, drainage and lighting, Reinforcement for tunnel or drift.

Assessment of blast induced damages etc.

Mine Geology

Identification of common mineral, igneous, sedimentary and metamorphic rock type. Structural Discontinuities: Strike and dip, fault, fold and joints. Ore Geology. Industrial and ore minerals, petrology, stratigraphy etc.

Mine Surveying

Levels and leveling, theodolite, tachometry, triangulation; Contouring; Correlation; Errors and adjustments; EDM and Total Station; GPS, Terrestrial and air borne laser scanner. Geodesy and field astronomy, Mine Plans and sections, Application of GIS and remote sensing. Statutory requirements. Calculation of area and volumes.

Surface and Subsurface Environment

Surface Environment: Air, water, noise and land pollution- Standards of quality, causes and dispersion of contamination, and control; Physiological effects. Land reclamation. EMP and EIA.

Subsurface hazards: Mine fires, Mine explosions, dust and inundation, Safety standards.

Mine Ventilation: Natural and Mechanical ventilation; Auxiliary ventilation. Ventilation networks for mines and tunnel.

Rock Mechanics and ground control

Physico-Mechanical properties of rock and soil. Rock mass classification; In-situ stress, Theories of rock failure. Stress distribution around mine openings. Mine Subsidence. Rock bursts.

Design of Rock support systems for tunnels and mine: Rock bolting, Cable bolting, Shotcrete and Roof stitching.

Slope stability and landslides: Types of slope failure. Analysis of slope failure. Factors affecting slope stability. Drainage and reinforcement of slopes. Monitoring of slopes. Stability of waste dump and rock slope.

Mine Machinery

Trackless Haulage: Types of conveyors and their applications. Free steered vehicles - shuttle cars, LHD, SDL and LPDT. Aerial Ropeways: Types, construction and installation. Loading, unloading and angle stations.

Mine Pumps: Types of mine pumps, Series and parallel operations of pumps. Borehole and submersible pumps. Slurry pumps.

Underground Face Machinery: Continuous miners, shearers, and powered supports.

HEMMs used in opencast mines: Constructions and operations.

Machinery Maintenance: Planned, preventive and predictive maintenance.

Underground Mining Method

Underground coal mining: Different coal mining methods, their applicability and limitations.

Underground Metal Mining: Different stoping methods, their applicability and limitations. Basic concept of transportation, ventilation, illumination and support in underground mines.

Surface Mining

Classification of surface mining methods, Unit operations, Opening of deposits; Overburden removal; Basic layouts.

Different methods of excavations and transportation: cyclic/discontinuity method, semi-continuous method, continuous method. Dimensional stone mining.

Drilling and blasting in surface mine: Classification of drilling equipment, long hole drilling, mechanics of drilling, Design of blasting system, Controlled blasting techniques.

Transport: Dumpers, belt conveyers, in-pit crushing and conveying, high angle conveying. Optimization of shovel-dumper combination.Mine closure planning.

Strip mining, Placer mining, Mining of hilly ore deposits.

Mine Legislation and Safety

Development of Mining Legislations in India. Provisions of Mines Act and Mines rules. Coal Mines Regulations and Metalliferous Mines Regulations. Various mining laws related to lease grant and renewal. Environmental laws. Mineral concession rule.

Safety Aspects in Mines, Principal provisions of rescue rules, mine vocational training rules, Safety management, Risk assessment and management.

Mine accidents Prevention and control, Safety audits etc.

Part – 2 : GEOLOGY:-

Physical Geology: Solar system and the Earth Origin, age and internal constitution of Earth. Basic concepts of geosynclines and isostasy. Plate tectonics-mountain building, seafloor spreading and Continental drift. Weathering, erosion, transportation and deposition by natural agencies. Earthquakes-distribution causes and effects. Volcanoes-types, causes, distribution and products.

Geomorphology: Basic concepts of Geomorphology. Cycle of erosion. Drainage patterns. Landforms formed by river, underground water, glacier wind and sea.

Structural Geology: Primary and secondary structures-lineation, foliation, folds, faults unconformities and joints; their description, classification and recognition. Mechanics of folding and faulting. Effects of fold and faults on outcrops. Nappes and geological windows.

Field Geology: Topographic, structural and geological maps. Representation of altitude, slope, strike and dip in topographic and geological maps. Clinometer Compass and its use. Criteria for the determination of order of superposition of beds.

Crystallography: Crystal, crystalline and amorphous substances. Morphological characteristics and crystal structures. Laws of crystallography. Symmetry elements and forms of the normal class of seven crystal systems. Crystal habits and twinning.

Mineralogy: Physical, chemical and optical properties of minerals. Isotropic and anisotropic substances. Birefringence, Pleochroism and extinction. Construction and uses of nicol prism.

Silicon-Oxygen, tetrahedral and classification of Silicates. Physical properties, chemical composition, optical properties and mode of occurrence of quartz, feldspar, feldspathoid, olivine, pyroxene, amphibole, garnet and mica group of minerals and calcite, tourmaline, zircon, sphene, staurolite, Kyanite, apatite and chlorite.

Economic Geology: Economic mineral deposits-metallic and non-metalliferous deposits, Ore, ore mineral and gangue. Processes of the formation and classification of economic mineral deposits. Mode of occurrence, distribution in India, genesis and used of gold, ores of iron, manganese, uranium, chromium, copper, aluminium, lead and zinc, mica, gypsum, magnesite, kyanite, diamond, coal and petroleum. Mineral wealth of Uttarakhand State. Elements of Mining Practices. Elements of mineral exploration.

Igneous Petrology: Magma-its composition and nature, crystallization of magma, Differentiation and assimilation. Bowen's reaction principle. Mode of occurrence, texture, structure, mineralogy and classification of igneous rocks. Petrographic description of granite, granodiorite, syenite, dioirite, gabbro, dolerite, basalt, anorthosite and dunite.

Sedimentary Petrology: Formation of Sedimentary rocks. Primary sedimentary structures. Bedding, Cross bedding, graded bedding, ripple marks and sole structure. Texture and classification of sedimentary rocks: Residual, clastic and non-clastic (siliceous and calcareous deposits of chemical and organic origin). Origin and characteristics of Quartz arenites. Arkoses and graywackes.

Metamorphic Petrology: Agent and types of metamorphism, Textures, Structures, Zones, Grades, Facies and classification of metamorphic rocks. Petrographic description of quartzite, Phyllite slate, schist, gneiss, marble, amphibolite, khondalite and gondite.

Palaeontology: Fossils-conditions for Preservation and Modes of fossilization and uses. Broad morphological features and geological distribution of brachiopods, lamellibranchs, gastropods, cephalopods, trilobites, echinoids and corals. A brief study of Gondwana flora. Evolutionary history of horse, elephant and man.

Stratigraphy: Fundamental laws of Stratigraphy, stratigraphic classification and nomenclature. An outline geology of India and a brief study of the various geological systems with respect to their distribution, lithology, fossil content and economic importance. Stratigraphy of Uttarakhand Himalaya.

Note : Each Multiple choice question shall be of 02 Mark.

"परिशिष्ट– 3(ii)"

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के अंतर्गत साक्षात्कार माध्यम से समूह 'ग' के पदों के चयन के संबंध में स्क्रीनिंग परीक्षा कराये जाने हेतु पाठ्यक्रम

स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु पाठयक्रम

सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण
एवं सामान्य हिन्दी (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

समय : 2 घंटे **प्रश्नों की संख्या : 150** **पूर्णांक : 150**

खण्ड–1 सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 90 **पूर्णांक : 90**

1. सामान्य विज्ञान,
2. भारत का इतिहास,
3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन,
4. भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति,
5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार,
6. जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में),
7. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन,
8. अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम,
9. उत्तराखण्ड की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन–सहन, भौगोलिक, राजनैतिक पृष्ठ भूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी,
10. उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि।

खण्ड–2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

प्रश्नों की संख्या : 30 **पूर्णांक : 30**

सामान्य बुद्धिमता : इसके अन्तर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे और इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन,

संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार और संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे।

खण्ड–3 सामान्य हिन्दी (सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण)

प्रश्नों की संख्या : 30 **पूर्णांक : 30**

(i) विलोम (पाँच शब्द)

(ii) वाक्य एवं वर्तनी शुद्वि (पाँच वाक्य)

(iii) अनेक शब्दों के एक शब्द (पाँच शब्द)

(iv) तत्सम एवं तदभव शब्द (पाँच शब्द)

(v) विशेष्य एवं विशेषण (पाँच शब्द)

(vi) पर्यायवाची शब्द (पाँच शब्द)

''परिशिष्ट–4''

स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंक पत्र में ग्रेडिंग (CGPA, OGPA,SGPA etc.) प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु

Ref. No./Letter No.- Date:-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...इस विश्वविद्यालय/संस्थान में विषय/उपविषय (Subject/Branch)..में स्नातक/स्नातकोत्तर हेतु पंजीकृत थे/थी, जिनका/जिनकी पंजीकरण संख्या..है।

इस विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकपत्र में प्रदान किये गये ग्रेडिंग को प्रतिशत अंक में परिवर्तन का सूत्र ....है। स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में ग्रेडिंग के समतुल्य प्राप्तांक... प्रतिशत है।

कुलसचिव
(हस्ताक्षर व मुहर)

''परिशिष्ट–5''

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय के अन्तर्गत समूह 'ग' पदों हेतु परीक्षा–2021 के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु अर्हकारी अंक

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन), 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित	45%
2	अन्य पिछडा वर्ग	40%
3	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40%
4	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	35%

नोट– सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

"परिशिष्ट–6"

निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रिंटआउट के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है :–

1- हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

2- इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।

3- दावित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष उपाधि/प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)

4- अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–5(1)/5(2), पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार।

5- अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र वांछित प्रारूप पर।

6- आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण–पत्र।

7- केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी को उचित माध्यम द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र (Application) की संबंधित कार्यालय में प्राप्ति (Receipt) की सत्यापित प्रति।

8- यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

9- पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए हैं।

10- अभ्यर्थी की अंक–तालिका में प्राप्तांकों की गणना ग्रेड (CGPA,OGPA,SGPA etc.) में हो तो ग्रेड गणना को प्रतिशतता (Percentage) में परिवर्तित करने हेतु लागु फार्मूले की प्रमाणित प्रति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।

''परिशिष्ट–7''

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय समूह 'ग' परीक्षा–2021 हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन निम्न नगरों में किया जाएगा–

क्रम सं0	**नगर (जिला)**
1	हरिद्वार (हरिद्वार)
2	देहरादून (देहरादून)
3	हल्द्वानी (नैनीताल)

नोट– उक्त परीक्षा का आयोजन **परिशिष्ट–7** के अनुसार व हरिद्वार, देहरादून व हल्द्वानी नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जाना प्रस्तावित है, किन्तु सीमित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में उक्त परीक्षा का आयोजन मात्र हरिद्वार नगर में किया जायेगा।